न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./58/2019/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. गोमाराम पुत्र जुगताराम	बनाम	1.शेराराम पुत्र जेठाराम कायम मुकाम
2. बांकाराम पुत्र जुगताराम		1/1रामाराम पुत्र शेराराम उम्र 32 वर्ष
जातियान जाट निवासी		1/2हुकमाराम पुत्र शेराराम उम्र 23 वर्ष
उंचावड़ा(काश्मीर) तहसील		1/3लिखमाराम पुत्र शेराराम उम्र 19 वर्ष
शिव जिला बाड़मेर।		1/4ओम प्रकाश पुत्र शेराराम उम्र 15 वर्ष उतरदाता संख्या 1/4 ओम प्रकाश नाबालिग जरिये कु0 वलिया माता उतरदाता संख्या 1/5 श्रीमती सारो देवी पत्नी शेराराम
		1/5सारोदेवी पत्नी शेराराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी उंचावड़ा(काश्मीर) तहसील शिव जिला बाड़मेर।
		2.प्रबंधक बी.सी.सी.बी. शाखा शिव
		3.प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू
		4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12/2017 बअनवान शेराराम बनाम गोमाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.06.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थित

1. वकील श्री हरीराम चौधरी, श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बालाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के का.मु. की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 05.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस संख्या 01 के कायम मुकाम ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 ए की उपधारा 01 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक आवेदन पेश कर अपने भतीजों को बतौर प्रतिवादी बनाकर संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 490/44 जो मूल खसरा संख्या 44 रकबा 53.11 बीघा में से शेराराम ने अपने घर तक जाने का रास्ता चाहा था, किन्तु प्रार्थी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कायम मुकाम ने रास्ते के दूसरी साईड के खसरा संख्या 489/44 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया जो कि कानूनन आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट में 11 हरे बड़े पेड़ों का हवाला आया हैं उनके मुआवजे बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया और न ही उन पेडो की क्षतिपूर्ति में उनके स्थान पर दूसरे पेड़ लगाने की कोई बात भी उल्लेखित नहीं की है। रेस्पोडेंट के सेढे से दूसरी तरफ आने जाने का रास्ता विकल्प के रूप में वर्तमान में भी मौजूद है। मौके पर फर्द बनाई गई उस वक्त न तो अपीलांटस को तहसीलदार शिव ने कोई नोटिस दिया और न ही अपीलांटस उस समय मौके पर उपस्थित था इस प्रकार यह मौका रिपोर्ट एकतरफा बनाई गई है। अपीलाधीन आदेश जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया उसमें तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर पटवारी द्वारा मौके की जो रिपोर्ट बनाई गई उसको अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई जिसके आधार पर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलकर्ता की आराजी का बिना समुचित वस्तुस्थिति का पता किये पारित **किया** है, रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि पर कभी कोई मार्ग नहीं था तथा उतरदातागण को अपनी जोत में आने जाने हेतु रास्ता का अन्य विकल्प मौजूद है जिसको उतरदाता अपनी जोत में आने जाने हेतु उपयोग में लेता है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एकपक्षीय व गलत बनाई गई है। मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकारान के व पड़ोसीयान के हस्ताक्षर नही है तथा न ही मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारो को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमें तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर नहीं बनाई है। मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा बनाई गई जिसको मौका रिपोर्ट बनाने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि मौजा उंचावड़ा पटवार क्षेत्र काश्मीर तहसील शिव खसरा संख्या 490/44 में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि भी जमा करवा दी गई है तथा रास्ते के रूप में 13 बिस्वा भूमि की जरूरत है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 05 के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय पारित करना उचित होगा। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि इस आदेश की जानकारी अपीलांटस को आज से पूर्व नहीं हुई अपीलांटस अपने काश्तकारी में व्यस्त था तथा अपने वकील से कोई सम्पर्क नहीं हो पाया और न ही वकील ने कोई इस निर्णय बाबत् जानकारी अपीलांटस को दी तथा अपीलांटस को दिनांक 20.10.2019 से पूर्व कोई ज्ञान नहीं हुआ तथा दिनांक 20.10.2019 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु सूचना बाबत आया तब अपीलकर्ता खातेदार को दी गई जिस पर अपीलकर्ता अधीनस्थ पहुंचे और सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर दिनांक 23.10.2019 को नकल मांगी जो दिनांक 23.10.2019 को प्राप्त हुई तब ही उसे अपीलाधीन आदेश का सम्पूर्ण ज्ञान हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब स्वाभाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2019 के विरूद्ध दिनांक 24.10.2019 को यानि 05 माह के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखि न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2010(2) Page 801
RRT 2011(1) Page 614
DNJ(Raj.) 2016(1) Page 201
RRT 2007(2) Page 939

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। अपीलांटस अपने कृषि कार्य में व्यस्त था तथा अपने वकील से कोई सम्पर्क नहीं कर पाने से न्यायहित में अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना चाहिए। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल ज्ञान कब? किसके द्वारा? होने का कथन नहीं कर देने के तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। लिहाजा अपील प्रस्तुति के विलम्ब को सद्भाविक मानकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द के आधार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उसमें तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर नहीं बनाई है। मौका फर्द पटवारी हल्का द्वारा बनाई जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मौका फर्द बनाने से पूर्व अपीलांटगण को किसी भी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। मौका फर्द एकपक्षीय बनाई गई। मौका फर्द दिनांक 12.03.2019 में स्पष्ट प्रतिवेदित है कि प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता के संबंध में चिपकते दूसरे खेत में बराबर–बराबर भूमि रास्ते हेतु लेने के लिए खसरा संख्या 489/44 में से 0.13 बीघा भूमि रास्ते में कटाण करनी पड़ेगी लेकिन मौके पर 11 हरे पेड़ खड़े है जिसकी पूर्व कटाई के बाद रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन दोनो खेतों की माठ का सही निर्धारण नहीं हो पाया है। जो किसी भी खेत में हो सकते है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मौका फर्द का अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई उपयुक्त व सुगम रास्ते का विकल्प उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बाद परीक्षण विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12/2017 बअनवान शेराराम बनाम गोमाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.06.2019 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हितबद्ध समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तहसीलदार स्वयं से अपनी उपस्थिति में मौका निरीक्षण करवा कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार आवेदक की मांग अनुसार गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

05/2/20

(नाथूसिंह राठौड़)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/2/20

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner